न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 141 / 2022

1. रामकली पत्नि विपतीराम जाति जाट
2. साहब सिंह
3. वलवीर सिंह
4. गंगासिंह पुत्रान विपतीराम जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन।

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखसिंह पुत्र हरभजन जाति जाट
2. नरेन्द्र पुत्र सुखसिंह जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः—12.05.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी ख0नं0 2427 रकवा 0.25है0 बाके ग्राम कुरका में स्थित है। उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इन्द्राज हम प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं 2लगा0 4 के पिता विपतीराम के नाम हो रहा है तथा विपतीराम की मृत्यू हो चुकी है एवं विरासत की कार्यवाही लम्बित है। हम प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी जो कि प्रार्थना पत्र में वर्णित है के पूर्व में अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी स्थित है। अप्रार्थीगण गिरोहदार बहुमत वाले तथा राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है तथा अपनी उक्त राजनैतिक पहुंच का फायदा उठाकर तथा अपनी उक्त आराजी की आड में कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी की पूर्वी डौल को अपने ट्रेक्टर से काट दिया है जिसकी एफआईआर प्रार्थीगण ने थाना उच्चैन पर दी थी। दिनांक 20.10.2022 को जब हम प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी की जुताई कराने पहुंचे तो हमने देखा कि अप्रार्थीगण हमारी आराजी में डौल मैड डाल रहे थे हमने जव मना किया तो झगडे पर उतारू हो गये हम प्रार्थीगण उनका सामना करने में किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है। प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 12.04.2024 को जवाव पेश कर निवेदन किया कि हम अप्रार्थीगण गिरोहबाज और राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति नहीं है और न हम प्रार्थीगण की विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते है और ना हमने मध्य डौल को ट्रेक्टर अथवा किसी अन्य प्रकार से कभी काटा है और ना वादी प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज कराई है। प्रार्थीगण उपद्रवी झगडेवाज और मुकदमेवाज इन्सान है जिन्होंने अपने हर पडौसी काश्तकार को किसी ना किसी वजह से परेशान कर रखा है जवकि सत्यता यह है कि प्रार्थीगण ने इस दावे को प्रस्तुत करने से पूर्व ही विवादित आराजी की पूर्वी मेड की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की अनुपस्थित में हमारे खेत में काफी अन्दर घुसकर कर दी थी जिसका हमने विरोध किया और गांव के कई मौतविर व्यक्तियों को मौके पर ले जाकर उनकी गलत पत्थरगढी को दिखाया तो वादी प्रार्थीगण द्वारा हमारी आराजी में स्पष्ट रूप से अन्दर घुसकर की गई पत्थरगढी को समझाने पर हटाया एवं उसी खींज को लेकर प्रार्थीगण ने हमारे विरूद्ध यह मनगढंत तथ्यों पर आधारित प्रा0पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि प्रा0पत्र में वर्णित विवादित आराजी प्रार्थी सं0 1 के पति एवं 2 लगा0 4 के पिता के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी थी। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2427 की पचासों वर्ष पुरानी डौल मेड डली हुई है एवं विवादित आराजी की तारबंदी एवं पत्थरगढी हो रखी है। दिनांक 10.10.2022 को अप्रार्थीगण के द्वारा आराजी पर लगी हुई मुड्डीयों को उखाड दिया एवं प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करने को उतारू हो रहे है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण ने खरीद की है। प्रार्थीगण का यह कहना की पुश्तैनी डौल मैड वनी हुई है गलत है। प्रार्थीगण के द्वारा बिना अप्रार्थीगण की जानकारी के अप्रार्थीगण की आराजी के अन्दर बिना पैमाइश के मुड्डी गाढ दी थी। वाद कारण प्रार्थीगण ने ही पैदा किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जवाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के हक निहित है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार होने के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पावंद करवाना चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की मौके की स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रवल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। दौराने वहस प्रार्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा अवगत कराया गया कि अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त विवादित आराजी के चारो ओर गढी हुई मुड्डीयों को उखाड दिया एवं आराजी की डौल मैडो को तोडने पर उतारू है। जवकि अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के द्वारा विना अप्रार्थीगण की जानकारी के उनकी आराजी के अन्दर मुड्डीयां गाढ दी थी जिनको प्रार्थीगण ने समझाने के वाद हटा लिया था। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जमावंदी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजवूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थी को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पावंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्वर नम्वर 2427/0.25है0 वाकै ग्राम कुरका तहसील उच्चैन (मुताविक जमावंदी 2075–2078) में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थीपक्ष उप० प्रार्थी वास्ते बहस दिनांक 16/4/25 को पेश हो। [signature]
16/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थीपक्ष उप० प्रार्थीगण पत्रावली दिनांक 23/4/25 को पेश हो। [signature]
23/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थीपक्ष उप० पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/5/25 को पेश हो। [signature]
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थीपक्ष उप० पत्रा० वास्ते बहस दिनांक 6/5/25 को पेश हो। [signature]
6/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थीपक्ष उप० अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/5/25 को पेश हो। [signature]
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थीपक्ष उप०। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)